

बनाम

श्री-5 बी प्रिया कानगी जगत विद्यापी 5/11/35 - 31/5
900

फालगुन प्रिया कानगी जगत विद्यापी 5/11/35 - 15/3/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

5/1/18

- : आदेश : -

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री श्री-5 बी प्रिया
ने जरिये अभिभाषक श्री श्री-5 बी प्रिया प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे
एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम 5/11/35 पटवार हल्का 5/11/35
तहसील बिजौलिया में आराजी नं० 845/600 रकबा 2/17 बिस्वा 3/5 853/100 रकबा
1.7 बिस्वा
किता 2 रकबा 2 बीघा 1.7 बिस्वा 3/5 भूमि स्थित है। विपक्षगण
आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान
कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2-2-11 के अवलोकन से प्रार्थी
वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने
बाबत शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहि पडता है।
पत्थरगढी देव 500/100 याद जी की लैडी के कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।
कमीश्नर फीस 500/- रुपये लगे किये जाते हैं। जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी आ करेगा।
अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार
किया जाकर ग्राम 5/11/35 की आराजी नं० 845/600 रकबा 2/17 बिस्वा 3/5
853/100 रकबा 1.7 बिस्वा
किता 2 रकबा 2 बीघा 1.7 बिस्वा 3/5 की बशामलात पडोसीयान
के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये
राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
विपक्षिण्ड अधिकारी
बिजौलियां